क्लीन कोल इंटरप्राइसेस प्रायवेट लिमिटेड

द्वारा

ग्राम : गतोरा
तहसील : मस्तूरी
जिला : बिलासपुर (छ.ग.)

में

प्रस्तावित
0.96 मि॰ टन/ वर्ष क्षमता की
कोल वॉशरी

हेतु

पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट
का कार्यपालक सार

-:: प्रेषित ::-

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

व्यवसायिक परिसर, गृह निर्माण मंडल कॉलोनी, कबीर नगर, रायपुर (छ॰ग॰)

१. प्रस्तावनाः

क्लीन कोल इंटरप्राइसेस प्रायवेट लिमिटेड द्वारा ग्रामः गतोरा, तहसीलः मस्तूरी, जिलाः बिलासपुर (छ॰ग॰) में 0.96 मि॰टन/वर्ष क्षमता वाली कोल वॉशरी का लगाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र हेतु 11.92 एकड़ भूमि उद्योग प्रबंधन द्वारा क्रय की गई है। प्रस्तावित संयंत्र की अनुमानित लागत रू 14.70 करोड़ है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के अनुसार अनुमोदित, दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं आगामी संशोधन, कोल वाशरी 1 मि.टन./वर्ष से कम “B” श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। छ॰ग॰ प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा सहमति ‘टर्म्स् ऑफ रिफरेंसेस्’ (टी॰ओ॰आर॰) को प्रस्तावित परियोजना के लिए जिसका पत्र क्र. 1051/एस.ई.ए.सी–सी.जी./ई.सी./कोल वाशरी/बी॰एस॰पी॰/1070, दिनांकः 07.08.2014 है। यह EIA रिपार्ट छ॰ग॰ प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित TOR को समावेशित कर बनाया गया है।

प्रस्तावित संयंत्र द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु नाबेट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत मे॰ पायोनियर इन्वायरो लैबोरेटरिस् एवं कन्सल्टेंट्स प्रा॰ लि॰, हैदराबाद, द्वारा छ॰ग॰ प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञ समिति, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित ‘टर्म्स् ऑफ रिफरेंसेस्’ (टी॰ओ॰आर॰) को समाविष्ट करते हुए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैः

ए॰ प्रस्तावित संयंत्र स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र के पर्यावरणीय कारक जैसे जल, वायु, भूमि, ध्वनि, वनस्पति, जीव, एवं सामाजिक स्तर आदि विशिष्ट गुणों का वर्तमान परिदृश्य।

बी॰ प्रस्तावित परियोजना से होने वाले वायु उत्सर्जन, दूषित जल उत्सर्जन, ठोस अवशिष्ट एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर का आकलन।

सी॰ प्रस्तावित परियोजना से होने वाले उत्सर्जन की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा हरित पट्टिका विकास को समसहित करते हुये पर्यावरण प्रबंधन के उपाय (ई॰एम॰पी॰)।

डी॰ परियोजना उपरांत पर्यावरणीय अनुविक्षण कार्यक्रम।

१.१ कच्चे माल की मात्रा : –

प्रस्तावित परियोजना के लिये लगने वाले कच्चे माल की मात्रा निम्नलिखित है :

क्र॰	कच्चा माल	वार्षिक आवश्यकता	स्त्रोत
1.	कच्चा कोयला (आर॰ओ॰एम॰ कोल)	0.96 मिलियन टन प्रति वर्ष	एस॰ई॰सी॰एल॰, बिलासपुर एवं कोरबा **(डी॰ओ॰ आधारित)**

१.२ उत्पादन पद्धति : –

इस इकाई में खदान से प्राप्त कोयले (आर॰ओ॰एम॰) को तोड़कर, छानकर तथा धोकर 34% से कम राखड़ वाला कोयला प्राप्त किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना में एक सिक्त प्रकार (वैट टाइप) की कोल वॉशरी का लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण शुष्क प्रकार की वाशरी कि अपेक्षा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कम रहेगी। परियोजना में क्लोज्ड लूप वाटर सिस्टम लगाया जाएगा जिसके कारण दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा तथा शून्य निस्तारण संकल्प का परिपालन सुनिश्चित होगा।

प्रस्तावित परियेजना में आर॰ओ॰एम. कोल को एक दंतीय रोल क्रशर से तोड़कर पानी एवं हवा की मदद से हैवी मीडिया सायक्लोन द्वारा साफ किया जाएगा। जिसके कारण धुला हुआ कोयला, मिड्लिंग्स तथा रिजैक्ट्स प्राप्त होगे।

१.३ जल कि आवश्यकता : –

प्रस्तावित परियेजना के लिए अनुमानित जल की खपत 495 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जिसमें कोल वॉशरी में उपयोग होने वाले औद्योगिक मेकअप एवं घरेलु जल की आपूर्ति संलंग्न है। अनुमानित जल की पूर्ति भू–जल स्त्रोत से किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमति हेतु केन्द्रीय भू–जल प्राधीकरण को आवेदन किया गया है तथा प्रकरण लंबित है। श्रेणीवार जल खपत का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	विवरण	मात्रा (घन मीटर प्रतिदिन)
1.	कोल वॉशरी हेतु मेकअप वॉटर कि मात्रा	490
2.	घरेलू	5
3.	**कुल**	**495**

१.४ दूषित जल उत्सर्जन :

प्रस्तावित संयंत्र में क्लोज्ड लूप सक्रिट का लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। शून्य निस्तारण संकल्प का परिपालन सुनिश्चित किया जावेगा। परियोजना से उत्पन्न निस्त्राव में केवल घरेलु दूषित जल का समावेष होगा जिसकी कुल मात्रा प्रस्तावित परियोजना द्वारा अपेक्षित 4 घन मीटर प्रतिदिन होगी।

विवरण	मात्रा
घरेलू	4.0 घन मीटर प्रतिदिन
कुल	**4.0 घन मीटर प्रतिदिन**

१.५ दूषित जल की गुणवत्ता:

अनुमानित निस्त्राव के गुणात्मक विश्लेषण का सारांश निम्नलिखित टेबल में प्रदर्शित हैः

गुण	सांद्रता
पी॰एच॰	7.0 – 8.5
बी॰ओ॰डी॰	200 – 250 मि॰ग्रा॰/ली॰
सी॰ओ॰डी॰	300 – 400 मि॰ग्रा॰/ली॰
टी॰ डी॰एस॰	800 – 900 मि॰ग्रा॰/ली॰

२.० पर्यावरण का विवरण:

प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या में सभी पर्यावरण कारकों जैसे परवेशीय वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, ध्वनी स्तर, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु एवं समाजिक–आर्थिक स्थिति के आधार पर बेस लाइन डाटा बनाया गया।

२.१ परिवेशीय वायु गुणवत्ता

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मत्रांलय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर एक मौसमीय (3 महीने तक) 8 स्टेशनों पर पी॰एम॰$_{2.5}$, पी॰एम॰$_{10}$, एस॰ओ॰$_{2}$, एन॰ओ॰$_{X}$ एवं सी.ओ. हेतु परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया। परवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के दौरान इन कारकों का मान इस प्रकार हैः

क्रमांक	विवरण		सांद्रता
1.	पी॰एम॰$_{2.5}$	:	14.9 से 34.4 माइक्रोग्राम / घन मीटर
2.	पी॰एम॰$_{10}$*	:	25.2 से 58.1 माइक्रोग्राम / घन मीटर
3.	एस॰ओ॰$_2$	:	6.9 से 18.7 माइक्रोग्राम / घन मीटर
4.	एन॰ओ॰$_x$	:	7.4 से 26.2 माइक्रोग्राम / घन मीटर

“ * ”: पी॰एम॰$_{10}$ का विश्लेषण किया गया जिसमें पॉलि एरोमैटिक हायड्रोकार्बन की मात्रा बी॰डी॰एल॰ है

बी॰डी॰एल॰ : Below Detection Level

२.२ जल गुणवत्ता

8 अलग अलग जगहों पर भूजल एवं अन्य सतही जल स्त्रोंतो के नमूने लिए गए जिसके सारे भौतिक एवं रासायनिक गुणों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर पाया गया कि सभी जगहों पर जल पीने योग्य है; अर्थात सभी नमूने आई॰एस॰: 10500 तथा आई॰एस॰: 2296 के मानदण्डों के अनुरूप पाए गये है।

२.३. ध्वनि स्तर

8 अलग अलग जगहों पर रात एवं दिन में ध्वनि स्तर का मापन किया गया । जिसका ध्वनि स्तर 41.95 डी॰बी॰(ए.) से 60.65 डी॰बी॰(ए.) पाया गया है।

३.० पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्वावांकलन तथा रोकथाम:

३.१ वायु गुणवत्ता पर प्रभावों का पूर्वावांकलन:

प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित गैसेस् में मुख्यतः पार्टिकुलेट मैटर (पी॰एम॰$_{10}$), सल्फर डाय औक्साइड एवं औक्साईड्स् ऑफ नाइट्रोजन पाये जाते हैं। इण्डस्ट्रियल सोर्स कॉमप्लैक्स मॉडल (आई॰एस॰सी॰एस॰टी॰–3) का उपयोग, भूस्तर सांद्रता ज्ञात करने में किया गया। माइक्रोमैट्रियोलौजिकल डाटा जैसे तापमान, हवा के वहने की गति एवं दिशा एवं अन्य मैट्रियोलौजिकल पैरामिटर्स भी इकट्ठा किए गए जिनका उपयोग मॉडल से परिणाम ज्ञात करने में किया गया। भूस्तर सांद्रता ज्ञात करने में अन्य औद्योगिक इकाईयों के उत्सर्जन को भी समावेश किया गया है।

संगणित परिणामो से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत भूस्तर पर इन कारकों पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 0.05 माइक्रोग्राम/घन मीटर हवा बहने कि दिशा में प्रस्तावित स्थल से 500 मीटर पर पाई जावेगी।

वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए पी॰एम॰की सांद्रता में अधिकतम 0.55 माइक्रोग्राम/घन मीटर वृद्धि होने की संभावना है।

अतः कोल वाशरी द्वारा एवं वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन के कारण वतावरण में पी॰एम॰$_{10}$ की की सांद्रता में 0.05 माइक्रोग्राम/घन मीटर + 0.55 माइक्रोग्राम/घन मीटर = 0.60 माइक्रोग्राम/घन मीटर की अधिकतम वृद्धि की होने की संभावना है।

एन॰ओ॰$_X$ में वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 4.13 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

वाहनों द्वारा उत्सर्जित सी.ओ. की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 2.75 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

विवरण	पी.एम. **(«g/m^3)**	एस॰ओ$_2$ **(«g/m^3)**	एन॰ओ.$_x$ **(«g/m^3)**	सी.ओ. **(«g/m^3)**
अध्ययन क्षेत्र अधिकतम वास्तविक सांद्रता	58.1	18.7	26.2	1010
कोल बेनीफिकेशन (इ॰) प्राइवेट लिमिटेड के संचालनोपरांत सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	0.60	——	4.2	2.8
अध्ययन क्षेत्र मे अन्य उद्योगों के संचालनोपरांत सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	1.8	6.0	14.5	9.0
संयंत्र के संचालनोपरांत सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	**60.5**	**24.7**	**44.9**	**1021.8**
राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक	**100**	**80**	**80**	**2000**

जैसा कि संगणित परिणाम तथा प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत उत्सर्जित पार्टिकुलेट मैटर (पी॰एम॰$_{10}$), सल्फर डाय औक्साइड एवं औक्साईड्स् ऑफ नाइट्रोजन की अधिकतम सांद्रता राष्ट्रिय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है अतः प्रस्तावित परियोजना से वायु गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

३.२ ध्वनि स्तर पर प्रभावः—

प्रस्तावित परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत डी.जी. सैट एवं कोल क्रशर इत्यादि होंगे। परवेशीय ध्वनि स्तर पर्यावरण एवं वन मत्रांलय कि अधिसूचना दिः 14.02.2000, ध्वनी प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम 2000 के मानदण्डो के अनुरूप है यानी दिन में 75 डी. बी. (ए.) एवं रात में 70 डी.बी. (ए.) से कम होगी। प्रस्तावित संयंत्र स्थल लगभग 5.0 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है जिससे ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों में कमी आएगी और आसपास के क्षेत्रों में ध्वनि प्रभाव न्यूनतम रहेगा।

३.३ जल पर्यावरण पर प्रभावः—

प्रस्तावित परियोजना में क्लोज्ड कूलिंग सिसटम का परिपालन किया जावेगा जिससे भविष्य में स्थापित होने वाली कोल वॉशरी द्वारा औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। घरेलू निस्त्राव इत्यादि होंगे जिनके उपचार हेतु निस्त्राव उपचार हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट का बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र के लिये जल आहरण की अनुमति हेतु केन्द्रीय भू—जल प्राधीकरण को आवेदन किया गया है तथा प्रकरण लंबित है। अतः इससे परियोजना क्षेत्र के जल पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नही होगा।

३.४ भू—पर्यावरण पर प्रभावः—

प्रस्तावित परियोजना में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानूरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि की सही—सही स्थापना एवं संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जावेगा। ठोस अपशिष्टों का निपटान/ उपयोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुसार किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र स्थल लगभग 4.0 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। अतः प्रस्तावित परियोजना से भू—पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

३.५ सामाजिक– आर्थिक प्रभावः–

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण एवं संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अनेक अवसर बनेगें। जिसके कारण सामाजिक–आर्थिक स्थित पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। साथ ही गाँवों में नियमित स्वास्थ्य जाँच प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित संयंत्र के लगने से भविष्य मे क्षेत्र का विकास होगा।

४.० पर्यावरण अनुवीक्षण कार्यक्रमः

परियोजना–उपरांत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एम॰ओ॰ई॰एफ॰) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार अनुवीक्षण कार्यक्रम का अनुपालन प्रस्तवति है, जो कि निम्न प्रकार हैः

क्रमांक	विवरण	अनुवीक्षण आवृत्ति	नमूने लेने कि अवधि	पैरामीटर
1 जल तथा निस्त्राव कि गुणवत्ता				
	जल गुण्वत्ता	मासिक	ग्रॅब नमूने	आई एस : 10500
2 वायु गुण्वत्ता				
a.	स्टैक	ऑन–लाइन मासिक		पी.एम.
b.	परवेशीय वायु गुण्वत्ता	सप्ताह में दो बार	24 घण्टे लगातार	पी॰एम॰$_{10}$, पी॰एम॰$_{2.5}$, एस.ओ$_2$, एन.ओ.$_x$
c.	फ्युजिटिव उत्सर्जन	मासिक	8 घण्टे में एकबार	पी.एम.
3 मौसमिय कारक				
d.	मौसमिय डाटा	दैनिक	लगातार	तापमान, आद्रता, वर्षा, वायु की गति एवं दिशा
4 शोर मापन				
e.	शोर मापन	मसिक	माह में एकबार (घण्टे के आधार पर)	परवेशीय शोर मापन (in dBA)

५.० अन्य अध्ययनः

परियोजना द्वारा किसी भी प्रकार का पुर्नवास अथवा पुर्नस्थापन नहीं होगा, अतः पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना अध्ययन नहीं किया गया है।

६.० परियोजना के लाभ:

प्रस्तावित परियोजना के कारण नए रोजगार के अवसर बनेगें, साथ ही स्थानीय परिसम्पत्तियों का मूल्य बढ़ेगा जिसके कारण आसपास के निवासियों को लाभ होगा। प्रस्तावित संयंत्र में कर्मचारियों के नियोजन हेतु स्थानीय लोगो को प्राथमिकता दी जावेगी।

७.० पर्यावरण प्रबंधन के उपाय:

७.१ वायु पर्यावरण:

वायु प्रदूषण कि रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये जाना प्रस्तावितत है।

क्रमांक	इकाई	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर	पी॰एम॰ उत्सर्जन
1.	कोल क्रशर	बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैशन सिसटम	< 50 मिलिग्राम/घन मी.

डस्ट उत्सर्जन के मुख्य स्त्रोत कोयले की अनलोडिंग, क्रशिंग एवं स्थानांतरण बिंदू होंगे। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के मुख्य स्त्रोत कोयले की अनलोडिंग, स्थानांतरण बिंदू, एवं स्क्रीनिंग क्षेत्र इत्यादि होंगे। कोयले की अनलोडिंग के कारण फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु डस्ट सप्रेशन सिसटम लगाया जाना प्रस्तावित है। कोयले की अनलोडिंग, स्थानांतरण बिंदुओं को पूर्णतः ढंका जाना तथा इन सभी निर्वहन बिंदुओं को बैग फिल्टर युक्त डी–डस्टिंग प्रणाली से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र क्षेत्र में होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का मापन कार्य किया जावेगा तथा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम एवं मापन हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों का पालन किया जावेगा।

७.२ जल पर्यावरण:

प्रस्तावित कोल वॉशरी में क्लोज्ड कूलिंग सिसटम का परिपालन किया जावेगा जिससे कुछ भी औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित कोल वॉशरी से 4.0 घन मीटर प्रति दिन घरेलू निस्त्राव के रूप में दूषित जल उत्सर्जन होगा। जिसके उपचार हेतु हेतु सैप्टिक

टैंक एवं सोक पिट्स बनाए जावेगें। प्रस्तावित कोल वॉशरी में शून्य बहिस्त्राव कि संकल्पना का परिपालन किया जावेगा।

७.३ ध्वनि पर्यावरण :

प्रस्तावित परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत डी.जी. सैट एवं कोल क्रशर इत्यादि होंगे। सभी उपकरणों का निर्माण केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्वनि उत्सर्जन हेतु मानदण्डों के अनुरूप किया जावेगा। तदंतर सघन वृक्षारोपण ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में प्रभावकारी होगा। प्रशासनिक भवन के आसपास ध्वनि अवरोधो के रूप में वृक्षारोपण कि अनुशंसा की जाती है।

७.४ भू पर्यावरण :

प्रस्तावित कोल वॉशरी में क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम का परिपालन किया जावेगा जिससे कुछ भी औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानूरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि का सही–सही स्थापना एवं संचालन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जाने का प्रस्ताव है। वॉशरी मिड्लिंग एवं रिजैक्ट्स को विद्युत उत्पादन इकाईयों को दिया जाना प्रस्तावित है। इकाई में सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समुचित सौंदर्यकरण एवं लैंडस्केपिंग पद्धति को अपनाया जावेगा। अतः प्रस्तावित संयंत्र से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ठोस अपशिष्टों का उत्पादन एवं अपवहन व्यवस्था :

क्र॰	ठोस अपशिष्टों का प्रकार	मात्रा	अपवहन व्यवस्था
1.	वॉशरी मिड्लिंग एवं रिजैक्ट्स	0.24 मि॰टन／वर्ष	स्वास्तिक पावर एवं मिनिरल रिर्सोसेस प्रा॰ लिमिटेड को दिया जावेगा।

७.५ ग्रीन बेल्ट :

प्रस्तावित परिसर में लगभग 4.0 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुमानित पूँजी लागत रू 0.8 करोड़ है।

७.६ क्रैप सिफारिशों का क्रियानवयन :

प्रस्तावित कोल वॉशरी में क्रैप सिफारिशों का सख़्ती से क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

*****